समाहरणालय, मधेपुरा
(स्थापना शाखा)
--:आदेश:--

लोक सेवा अधिकार अधिनियम के सफल कार्यान्वयन के संबंध मे राज्य स्तरीय टीम द्वारा दिनांक 04.02.2013 को आर0टी0पी0एस0 केन्द्र मधेपुरा एवं सिंहेश्वर की जॉच की गई। प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, पटना के पत्रांक 2336 दिनांक 08.02.2013 से प्राप्त निदेश के आलोक में जॉच के कम में पाये गए अनियमितताओं के आरोप में जिला राजस्व शाखा मधेपुरा का आदेश ज्ञापांक 108--2/रा0 दिनांक 23.02.2013 द्वारा श्री धीरेन्द्र प्रसाद सिंह, राजस्व कर्मचारी–सह–प्रभारी अंचल निरीक्षक, मधेपुरा एवं जिला राजस्व शाखा, मधेपुरा का आदेश ज्ञापांक 109–2/स्था0, दिनांक 23.02.2013 के द्वारा श्री ब्रजेश कुमार सिंह, राजस्व कर्मचारी–सह–प्रभारी अंचल निरीक्षक, सिंहेश्वर को तत्कालिक प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। निलम्बन अवधि में दोनों राजस्व कर्मचारियों का मुख्यालय अनुमंडल कार्यालय, उदाकिशुनगंज निर्धारित किया गया। राजस्व कार्यालय का पत्रांक 248–2/रा0 दिनांक 20.04.2013 द्वारा दोनो निलबित राजस्व कर्मचारी–सह–अंचल निरीक्षक के विरूद्ध प्रपत्र 'क' में आरोप गठित कर विभागीय कार्यवाही के संचलानार्थ श्री संदीप कुमार सिंह, वरीय उप समाहर्त्ता–सह–जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, मधेपुरा को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, मधेपुरा–सह–संचालन पदाधिकारी ने अपने पत्रांक 1073–2 दिनांक 28.10.2013 के द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालन उपरान्त जॉच प्रतिवेदन/अधिगम समर्पित किया जिसमें दोनों आरोपियों के विरूद्ध गठित तीन आरोपों में मात्र प्रथम आरोप का दोषी पाया है।

उक्त प्रमाणित आरोप के आलोक में श्री धीरेन्द्र प्रसाद सिंह, राजस्व कर्मचारी–सह–प्रभारी अंचल निरीक्षक, अंचल कार्यालय, मधेपुरा एवं श्री ब्रजेश कुमार सिंह, राजस्व कर्मचारी–सह–प्रभारी अंचल निरीक्षक, अंचल कार्यालय, सिंहेश्वर को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 14(1)V के तहत निम्नलिखित दण्ड अध्यारोपित करते हुए निलम्बन से मुक्त कर विभागीय कार्यावाही समाप्त की जाती है :–

(i) दोनों राजस्व कर्मचारियों का अगला देय एक एक वेतनवृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोकी जाती है।

(ii) दोनो को निन्दन संसूचित किया जाता है।

(iii) निलम्बन अवधि में मात्र जीवन यापन भत्ता निलंबन अवधि में निर्धारित मुख्यालय से प्राप्त अनुपस्थिति विवरणी के आधार पर देय होगा।

संबंधित अंचलाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि वे तदनुसार अनुवर्ती कार्रवाई करते हुए संबंधित राजस्व कर्मचारी के सेवापुस्त में दर्ज करना सुनिश्चित करेंगें।

इसकी सूचना सभी संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी को दी जाय।

ह0/-
जिला पदाधिकारी
मधेपुरा।

ज्ञापांक 1150-2/स्था0, दिनांक 18.11.2013।

प्रतिलिपि : अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा/अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा/उदाकिशुनगंज/कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, मधेपुरा/सिंहेश्वर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, मधेपुरा जिला एवं सभी अंचलाधिकारी, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : श्री धीरेन्द्र प्रसाद सिंह, राजस्व कर्मचारी, अंचल कार्यालय, मधेपुरा एवं श्री ब्रजेश कुमार सिंह, राजस्व कर्मचारी, अंचल कार्यालय, सिंहेश्वर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई0टी0 मैनेजर, मधेपुरा को वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

18/11/13
जिला पदाधिकारी
मधेपुरा।